पटना में दिनांक–15 मार्च, 2024 शुक्रवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. राज्य स्कीम मद से डॉ० भीम राव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय प्रखण्ड–सह–अंचल सुपौल, जिला–सुपौल में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/–(छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू०) मात्र की दर पर निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

2. राज्य स्कीम मद से संलग्न सूची के अनुसार 100 आसन वाले 11 (ग्यारह) राजकीय कल्याण छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के अनुसार प्रति छात्रावास ₹4,90,62,000/–(चार करोड़ नब्बे लाख बासठ हजार रू०) मात्र की दर पर कुल (₹4,90,62,000X11)= ₹53,96,82,000/–(तिरपन करोड़ छियानवे लाख बेरासी हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — 2. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

3. राज्य स्कीम मद से डॉ० भीम राव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय, मुढ़ारी हरनौत, नालन्दा के भवनों का पुनर्निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन ₹3067.53 लाख (तीस करोड़ सड़सठ लाख तिरपन हजार रू०) मात्र की दर से कराने की प्रशासनिक स्वीकृति। — 3. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

4. मेसर्स बोधगया गेस्ट हाउस प्रा० लि०, प्लॉट नं०–1110/1102, नियर अहिमसा अपार्टमेंट, कटोरवा रोड, जिला–गया को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

5. बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2024 की स्वीकृति के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

6. मेसर्स बाबा एग्रो फूड लि०, प्लॉट नं०–250, मौजा–दरभंगा, पो०–तेलडिहा, मदनपुर, जिला– औरंगाबाद को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

7. मेसर्स वरूण बिवरेज लिमिटेड, ग्राम–असुरारी, ब्लॉक –बरौनी, जिला–बेगूसराय को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। 7. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

8. मेसर्स श्रीनिवास (जी०) एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इन्सच्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेंज, कमालपुर, गरखा, सारण को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7(2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। 8. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

9. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एंव चर्म) नीति 2022 में संशोधन, 2024 के संबंध में। 9. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

10. राज्य सरकार की गारन्टी पर बिहार स्टेट पॉवर (हो०) कं०लि० के दोनों वितरण कंपनियों यथा–नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० द्वारा ऊर्जा मद में विभिन्न ऊर्जा प्रतिष्ठानों के बकाया राशि का भुगतान एवं पिछले वर्ष की औसत मासिक ऊर्जा विपत्र राशि के समतुल्य का साख–पत्र (Letter of Credit) निर्गत करने हेतु Consortium Banks (कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य विभिन्न बैंकों) से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० को 800.00 करोड़ (आठ सौ करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० को 789.00 करोड़ (सात सौ नवासी करोड़) रूपये अर्थात कुल 1589.00 करोड़ (एक हजार पॉच सौ नवासी करोड़) रूपये का कार्यशील पूंजी ऋण (working Capital Loan) प्राप्त करने की स्वीकृति एवं प्राप्त होने वाले ऋण एवं ऋण पर ब्याज की भुगतान दोनों वितरण कंपनियों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 10. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान की राशि के लिए कुल 15343.00 करोड़ (पन्द्रह हजार तीन सौ तैंतालीस करोड़) रूपये स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 तक की अवधि के लिये 1278.58 करोड़ (एक हजार दो सौ अठत्तर करोड़ अंठावन लाख) रूपये प्रति माह की दर से कुल 15343.00 करोड़ (पन्द्रह हजार तीन सौ तैंतालीस करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी० सी०लि० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

12. पटना संग्रहालय पटना का प्रबन्धन एवं संचालन बिहार संग्रहालय समिति, पटना से किए जाने के आलोक में पटना संग्रहालय, पटना के लिए विभिन्न कोटि के कुल 61 (एकसठ) नए पदों के सृजन एवं संग्रहालय निदेशालय (मुख्यालय) तथा अन्य राजकीय संग्रहालयों को सुचारू रूप से चलाने हेतु न्यूनतम आवश्यकताधारित विभिन्न कोटि के कुल 34 (चौंतीस) नये पदों का सृजन तथा पटना संग्रहालय, पटना में पूर्व से सृजित कुल 79 (उनासी) पदों में से 65 (पैंसठ) पदों को संग्रहालय निदेशालय एवं अन्य राजकीय संग्रहालयों में स्थानान्तरण/संपरिवर्तन तथा 14 (चौदह) पदों का प्रत्यर्पण करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

13. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों का प्रशिक्षण के दौरान नाश्ता भत्ता के दर में अभिवृद्धि के अनुसार शत प्रतिशत राज्यांश के रूप में अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार कुल ₹13,00,81,500/– (तेरह करोड़ एकासी हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

14. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के अंशकालीन पदाधिकारियों का मानदेय भत्ता के दर में अभिवृद्धि के अनुसार राज्यांश के रूप में अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार कुल ₹15,66,960/– (पंद्रह लाख छियासठ हजार नौ सौ साठ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

15. बिहार विरासत विकास समिति, पटना के लिए स्थायी रूप से कुल 06 (छः) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **15.** स्वीकृत।

कृषि विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2024–25 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजित कर्मियों के लिए नियत मानदेय एवं ई०पी०एफ० की राशि बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम हेतु कुल 4141.0946 लाख (एकतालीस करोड़ एकतालीस लाख नौ हजार चार सौ साठ रू०) मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **16.** स्वीकृत।

कृषि विभाग

17. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम अंतर्गत स्थापना एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए 3765.45 लाख (सैंतीस करोड़ पैंसठ लाख पैंतालीस हजार) रू० सहायक अनुदान की स्वीकृति। — **17.** स्वीकृत।

कृषि विभाग

18. बिहार उद्यान सेवा (कृषि कोटि–7) भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में। — **18.** स्वीकृत।

खेल विभाग

19. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के उप–विधि में अंकित "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार" एवं "निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण" शब्द समूहों को क्रमशः "खेल विभाग, बिहार सरकार" एवं "निदेशक (खेल), खेल विभाग" द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति के संबंध में। — **19.** स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

20. वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम–4–53/2007–3758/वि० दिनांक 31.05.2017 के कंडिका–7(क) को शिथिल करते हुए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में बजट में प्रावधानित राशि की केन्द्रांश की प्राप्ति की प्रत्याशा में निकासी की स्वीकृति के संबंध में। — **20.** स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

21. सिकरहना दायाँ तटबंध निर्माण कार्य (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 56.22) प्राक्कलित राशि रू० 23963.00 लाख (दो सौ उनचालिस करोड़ तिरसठ लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। **21.** **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

22. बिहार राज्य अन्तर्गत दरभंगा प्रमंडल हेतु एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना तथा कमला सिंचाई परियोजना एवं पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य के साथ दरभंगा प्रमंडल अन्तर्गत जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी में सुधार एवं विकास हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन परामर्शी सेवा के माध्यम से तैयार कराने के कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 34,50,00,000/– (चौंतीस करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र (वस्तु एवं सेवा कर सहित) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। **22.** **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

23. पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत मसान नदी के बायें एवं दायें तटबंध और सम्बद्ध कार्य (प्राक्कलित राशि रू० 21496.00 लाख)(दो सौ चौदह करोड़ छियानवे लाख) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। **23.** **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

24. बिहार भू–भाग अंतर्गत उत्तर कोयल जलाशय योजना के अवशेष कार्य, प्राक्कलित राशि 1367.61 करोड़ रूपये (एक हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ एकसठ लाख रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके अंतर्गत बिहार राज्य की हिस्सेदारी के रूप में राशि 547.04 करोड़ रूपये (पाँच सौ सैंतालीस करोड़ चार लाख रूपये) के व्यय की स्वीकृति। **24.** **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

25. सारण तटबंध के कि॰मी॰ 80.00 से कि॰मी॰ 120.28 के बीच पुनर्स्थापन कार्य के साथ तटबंध के शीर्ष पर बिटुमिनस सड़क निर्माण कार्य (प्राक्कलित राशि रू० 12411.00 लाख) (रूपये एक सौ चौबीस करोड़ ग्यारह लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। **25.** **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

26. तिरहुत मुख्य नहर के वि॰दू॰ 704.35 (214.68 कि०मी०) से वि॰दू॰ 732.00 (223.11 कि०मी०) तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य। प्राक्कलित राशि 8102.86 लाख रूपये (इक्कासी करोड़ दो लाख छियासी हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। 26. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

27. एल०पी०ए० संख्या–1761/2010 (राजीव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश के अनुपालनार्थ पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत श्री विजय कुमार, सहायक अभियंता (यॉंत्रिक) एवं श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता (यॉंत्रिक) को दिनांक 25.02.2013 के भूतलक्षी प्रभाव से कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) के पद पर प्रोन्नति देने हेतु छायापद सृजन के संबंध में। **27.** स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

28. पथ प्रमंडल सं०–1 गया अंतर्गत मनसरवा नाला पर घुंघरी टांड मोड़ से फल्गु नदी तट तक बॉक्स नाला–सह–सड़क सहित 5 जंक्शनों का उन्नयन कार्य, गया–बोधगया पथांश एवं सुब्रत पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण कार्य हेतु 7821.44 लाख (अठहत्तर करोड़ इक्कीस लाख चौवालीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **28.** स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

29. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर–कजरात नवाडीह रेलवे स्टेशनों के बीच नवीनगर रेलवे यार्ड पथ पर स्थित लेवल क्रासिंग संख्या–29 (रेलवे कि०मी० 381/3–5) के बदले पहुँच पथ सहित आर० ओ० बी० (Road Over Bridge) के निर्माण हेतु राज्यांश की राशि ₹ 2868.29 लाख (अठाईस करोड़ अड़सठ लाख उनतीस हजार मात्र) सहित कुल ₹5572.39 लाख (पचपन करोड़ बहत्तर लाख उनतालीस हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **29.** स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

30. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पटना जिलान्तर्गत दानापुर–फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–33 के बदले आर०यू०बी० (Road Under Bridge) एवं स्लीप रोड/सर्विस रोड/ड्रेन इत्यादि के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹7133.41 लाख (एकहत्तर करोड़ तैंतीस लाख इक्तालीस हजार मात्र) सहित कुल ₹8657.82 लाख (रूपये छियासी करोड़ सत्तावन लाख बयासी हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **30.** स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

31. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों तथा विभागान्तर्गत क्षेत्रिय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों का क्षमतावर्द्धन, प्रशिक्षण कार्य एवं कौशल विकास हेतु लोक वित्त समिति द्वारा निर्धारित शर्त्तों के तहत कुल ₹35,96,54,000.00 (पैंतीस करोड़ छियानवें लाख चौवन हजार रूपये) मात्र की राशि से बिहार राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **31.** स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

32. श्री कुमार सर्वानन्द, सेवानिवृत्त वरीय वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग को संविदा के आधार पर वरीय वास्तुविद् के पद पर योगदान की तिथि से अगले 02 (दो) वर्ष तक के लिए अथवा वरीय वास्तुविद् के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियोजन के संबंध में। — **32.** स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

33. श्री हरिशंकर सिंह, मुख्य वास्तुविद् एवं श्री खुर्शीद अकरम, मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि क्रमशः 31.01.2024 एवं 31.03.2024 के उपरान्त संविदा के आधार पर मुख्य वास्तुविद् के पद पर अगले 01 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियोजन के संबंध में। — **33.** स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

34. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन पूर्व से अधिसूचित सांख्यिकी एवं मूल्यांकन लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली, 2007 में संशोधन के संबंध में। — **34.** स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

35. बिहार कराधान विवादों का समाधान नियमावली, 2024 को प्रख्यापित करने के संबंध में। — **35.** स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

36. वाणिज्य–कर विभाग के पुराने एवं अप्रचलित अभिलेखों के सुरक्षित रख–रखाव एवं डिजिटाईजेशन हेतु डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डी०एम०एस०) योजना का माह अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक मात्र 09 माह का अंतिम अवधि विस्तार तथा विस्तारित अवधि में योजना कार्यान्वयन हेतु संभावित व्यय रू० 2.66 करोड़ सहित पुनरीक्षित राशि रू० 42.66 करोड़ मात्र की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **36.** स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

37. सात निश्चय कार्यक्रम के तहत औरंगाबाद जिला में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण कार्य का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 73.13 करोड़ (तिहत्तर करोड़ तेरह लाख रूपये) मात्र का पुनरीक्षित योजना लागत रू० 96.8420 करोड़ (छियानवे करोड़ चौरासी लाख बीस हजार रूपये) मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **37. स्वीकृत।**

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

38. सात निश्चय कार्यक्रम के तहत जहानाबाद जिला में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण कार्य का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 73.13 करोड़ (तिहत्तर करोड़ तेरह लाख रूपये) मात्र का पुनरीक्षित योजना लागत रू० 94.8780 करोड़ (चौरानबे करोड़ सतासी लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **38. स्वीकृत।**

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

39. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा के परिसर में अतिरिक्त शैक्षणिक भवन के निर्माण कार्य का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 11,14,00,000.00 (ग्यारह करोड़ चौदह लाख रूपये) मात्र को रद्द कर नई योजना लागत रू० 33,38,61,000.00 (तैंतीस करोड़ अड़तीस लाख इक्सठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **39. स्वीकृत।**

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

40. सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत समस्तीपुर जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर के परिसर में अतिरिक्त 700 बेड का बालक छात्रावास (01 अदद् 300 बेड एवं 02 अदद् 200 बेड), सहायक प्राध्यापक के लिए स्टूडियों अपार्टमेंट (G+5), प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, हेतु Type C (G+5) भवन, गेस्ट हाऊस तथा एमेनिटी भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु क्रमशः रू० 7285.63 लाख तथा रू० 177.85 लाख अर्थात् कुल रू० 7463.48 लाख (चौहत्तर करोड़ तिरसठ लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **40. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

41. पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2023 के प्रभाव से 412% के स्थान पर 427% महंगाई भत्ता/ राहत की स्वीकृति के संबंध में। 41. स्वीकृत।

वित्त विभाग

42. सहकारिता विभाग सांख्यिकी सहायक संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए संगत वेतनसंरचना की स्वीकृति के संबंध में। 42. स्वीकृत।

वित्त विभाग

43. षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2023 के प्रभाव से 221% के स्थान पर 230% महंगाई भत्ता/ राहत की स्वीकृति के संबंध में। 43. स्वीकृत।

वित्त विभाग

44. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3590, दिनांक– 24.05.2017 द्वारा बिहार अवर योजना संवर्ग के अवर योजना पदाधिकारी का स्वीकृत वेतनस्तर–7 के स्थान पर वेतनस्तर–08 स्वीकृत किये जाने के संबंध में। 44. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

45. "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) संशोधन नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में। 45. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

46. शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय का राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में संविलियन एवं एकीकृत रूप में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के गठन स्वीकृति के साथ–साथ निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को बिहार शिक्षा सेवा (शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग) एवं परिषद के वर्ग 2 एवं वर्ग 3 का नियंत्री एवं नियुक्ति पदाधिकारी घोषित करने के संबंध में। 46. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

47. ''बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023'' के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 4074 सृजित पद, माध्यमिक शिक्षक के 4316 सृजित पद, वर्ग 6 से 8 स्नातक ग्रेड के 5957 सृजित पद एवं वर्ग 1 से 5 के बेसिक ग्रेड के 11039 सृजित पदों को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 4074 पद, वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 4316 पद, वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 5957 पद एवं वर्ग 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 11039 पदों के सृजन के संबंध में। — **47.** स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

48. श्रीमती प्रतिमा वर्मा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रामनगर, पश्चिम चम्पारण (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) से प्राप्त ''पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने'' की स्वीकृति के संबंध में। — **48.** स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

49. बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (BSWAN 2.0) के एक वर्ष (दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 तक) के संचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि ₹90,22,00,000.00 (नब्बे करोड़ बाईस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **49.** स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

50. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के परिसर में 248 शय्या (216 शय्या डॉरमेट्री एवं 32 निजी कमरा) के धर्मशाला भवन के निर्माण कार्य हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू० 14,85,00,000/–(रूपये चौदह करोड़ पचासी लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति तथा निर्माणोपरान्त उक्त धर्मशाला को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को हस्तांतरित/सुपुर्द करने की स्वीकृति। — **50.** स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

51. राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडलों जो विभागीय संकल्प सं०–2881 दिनांक 12.10.2023 द्वारा अनाच्छादित है, उन्हें खरीफ विपणन मौसम, 2022–23 से राज्य खाद्य निगम को निर्धारित तिथि तक आपूर्ति की गई चावल (सी०एम०आर०) की मात्रा के आधार पर रू० 20/– प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। — 51. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

52. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग के पुनर्गठन हेतु पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 13 पदों के सृजन, 01 पद के उत्क्रमण तथा 12 पदों के प्रर्त्यपण की स्वीकृति के संबंध में। — 52. स्वीकृत।

गृह विभाग
(कारा)

53. बिहार राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक–सह–कक्षपाल का मासिक मानदेय रू० 17,250/–(सत्रह हजार दो सौ पचास रूपये) से बढ़ाकर रू० 19,800/–(उन्नीस हजार आठ सौ रूपये) करने के संबंध में। — 53. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

54. "बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2024" के गठन के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी (संशोधन) नियमावली की स्वीकृति के संबंध में। — 54. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

55. कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी के गठन हेतु नियमावली और विनियमावली एवं संगम ज्ञापन की स्वीकृति के संबंध में। — 55. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

56. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012 के नियम सं०–05(2)– परिशिष्ट–IV "राज्य सरकार द्वारा सृजित किये जाने वाले अतिरिक्त पद" अन्तर्गत स्वीकृत पदों में से 26 पदों के लिए नाम, विषय, अनुभव एवं शैक्षणिक अहर्त्ता में परिवर्तन /उन्नयन एवं प्राधिकरण के राज्य मुख्यालय हेतु अतिरिक्त 22 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 56. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

57. कला, संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास हेतु राज्य के सभी 38 (अड़तीस) जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र खोलने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹1086.80 लाख (दस करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 से ₹934.80 लाख (नौ करोड़ चौतीस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र वार्षिक व्यय की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 57. स्वीकृत।

कृषि विभाग

58. वित्तीय वर्ष 2024–25 में चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकीकरण योजना का कार्यान्वयन एवं कुल 8225.00 लाख (बयासी करोड़ पचीस लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 58. स्वीकृत।

कृषि विभाग

59. चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेन्टर, चयनित गाँव में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना, फ्लेक्सी फंड एवं प्रशासनिक मद की राशि सहित योजना हेतु केन्द्रांश मद में 6250.00 लाख (बासठ करोड़ पचास लाख) रूपये एवं राज्यांश 4166.67 लाख (इकतालीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार) रूपये कुल 10416.67 लाख (एक सौ चार करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार) रूपये की लागत से केन्द्र प्रायोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना (60:40) के कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। — 59. स्वीकृत।

कृषि विभाग

60. चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) के तहत कृषकों के खेत तक सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल (60:40) अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतःक्षेप अवयव (80:20) का वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 6057.82 लाख (साठ करोड़ संतावन लाख बेरासी हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति जिसमें [(केन्द्रांश 2700.00 लाख (सत्ताईस करोड़) रूपये, समनुपातिक राज्यांश 1800.00 लाख (अठारह करोड़) रूपये तथा राज्य योजना से अतिरिक्त सहायता (टॉप–अप) 1557.82 लाख (पन्द्रह करोड़ संतावन लाख बेरासी हजार)] रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। — 60. स्वीकृत।

कृषि विभाग

61. चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) अंतर्गत कृषि उन्नति योजना के तहत सब – मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (60:40) के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कुल 17554.65 लाख (एक सौ पचहत्तर करोड़ चौबन लाख पैंसठ हजार) रूपये जिसमें केन्द्रांश 10202.40 लाख (एक सौ दो करोड़ दो लाख चालीस हजार) रूपये एवं राज्यांश मद में 6801.60 लाख (अड़सठ करोड़ एक लाख साठ हजार) तथा राज्य योजना मद में टॉप अप हेतु 550.65 लाख रूपये मात्र की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। **61.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

62. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के भवन निर्माण हेतु मोतिहारी सदर अंचल के विभिन्न मौजा के विभिन्न खाता एवं खेसरा (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट–I) का कुल रकबा–127.26 एकड़ भूमि को शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। **62.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

63. श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में निर्माणधीन होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर के विस्तार हेतु मुशहरी अंचल के मौजा–रसुलपुर सैयद वाजिद में अतिरिक्त 30.00 एकड़ भूमि (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट–I) महामहिम राष्ट्रपति वास्ते परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। **63.** स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

64. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुख्यालय, पटना के कार्यालय भवन (विद्युतिकरण, जलापूर्ति, स्वच्छता धिष्ठापन, स्थल विकास, सिवेज शुद्धिकरण संयंत्र, भवन उपस्कर आदि सहित) के निर्माण हेतु रू० 8458.6378 लाख (चौरासी करोड़ अंठावन लाख तिरेसठ हजार सात सौ अस्सी रूपये मात्र) की योजना की स्वीकृति। **64.** स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

65. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में सहायक अनुदान के रूप में राज्यांश मद में कर्णांकित उपबंध से 250.00 करोड़ (दो अरब पचास करोड़) रूपये के अग्रिम राज्यांश के निकासी के संबंध में। — 65. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

66. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत) के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत 40 पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा उपलब्ध करायी गयी तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित मॉडल प्राक्कलन रूपये 1,24,67,000/–(एक करोड़ चौबीस लाख सड़सठ हजार) लाख प्रति पशु चिकित्सालय की दर से कुल रूपये 49,86,80,000/–(उनचास करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरूप अन्तर राशि रूपये 27,94,80,000/–(सत्ताईस करोड़ चौरानवे लाख अस्सी हजार) राज्य योजना से वहन करने की स्वीकृति। — 66. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

67. सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत वैशाली जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली के परिसर में अतिरिक्त 500 बेड का बालक छात्रावास (01 अदद् 300 बेड (G+5) एवं 01 अदद् 200 बेड (G+3), 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (G+3), सहायक प्राध्यापक के लिए स्टूडियों अपार्टमेंट (G+4), प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, गेस्ट हाऊस हेतु टाईप C भवन (G+4) तथा एमेनिटी भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 7128.24 लाख (एकहत्तर करोड़ अठाईस लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 67. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

68. "बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024" की स्वीकृति के संबंध में। — 68. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

69. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०–5808, दिनांक–26.11.2015 की कंडिका–3 (iii) में आंशिक संशोधन करते हुए नगर निकाय की निधि के अलावा राज्य सरकार की निधि से आवश्यकतानुसार भूमि का क्रय मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार के न्यूनतम मूल्य पंजी पर किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 69. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

70. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन–2.0 (अमृत–2.0) के अन्तर्गत परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विभाग द्वारा चयनित एजेंसी पर होने वाले व्यय की राशि को अमृत–2.0 के अन्तर्गत परियोजना मद से स्वीकृति के संबंध में। — 70. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

71. स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली, 2024 (Bihar State Allied and Healthcare Council Rules, 2024) के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 71. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

72. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर–नारायणपुर अनंत रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–100 Spl (रेलवे कि०मी० 83/26–28) के बदले आर०ओ०बी०(Road Over Bridge) के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹2275.46 लाख (रूपये बाईस करोड़ पचहत्तर लाख छियालीस हजार मात्र) सहित कुल ₹4801.60 लाख (रूपये अड़तालीस करोड़ एक लाख साठ हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 72. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

73. सात निश्चय–2–सुलभ सम्पर्कता के तहत पथ प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत रंगगॉव–भागलपुरा पथ से धौनी भाया विसय में बाईपास पथ के निर्माण कार्य हेतु 3896.42 लाख (अड़तीस करोड़ छियानबे लाख बयालीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 73. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

74. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बक्सर जिलान्तर्गत डुमराँव–वरूणा रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–67/A (पटना जंक्शन–पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुख्य रेलवे लाईन के रेलवे कि०मी० 645/08–06) के बदले आर०ओ०बी० (Road Over Bridge) के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹3419.50 लाख (रूपये चौंतीस करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार मात्र) सहित कुल ₹5744.54 लाख (रूपये सत्तावन करोड़ चौवालीस लाख चौवन हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 74. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

75. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बक्सर जिलान्तर्गत रघुनाथपुर–ट्वीनिगंज रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–59B के बदले आर०ओ०बी० (Road Over Bridge) के निर्माण हेतु राज्यांश की राशि ₹4995.03 लाख (उनचास करोड़ पंचानबे लाख तीन हजार मात्र) सहित कुल राशि ₹7618.99 लाख (छिहत्तर करोड़ अठारह लाख निन्यानबे हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 75. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

76. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर लखीसराय जिलान्तर्गत किउल–बंशीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–55 के बदले आर०ओ०बी० (Road Over Bridge) के निर्माण हेतु राज्यांश की राशि ₹3540.30 लाख (पैंतीस करोड़ चालीस लाख तीस हजार मात्र) सहित कुल अनुमानित लागत राशि ₹6729.12 लाख (सड़सठ करोड़ उनतीस लाख बारह हजार मात्र) पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 76. स्वीकृत।

खेल विभाग

77. बिहार के विभिन्न आयुवर्ग के एथलीटों के लिए दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए "बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना, 2024" की स्वीकृति एवं इस पर प्रतिवर्ष अनुमानित ₹30.00 करोड़ रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति। — 77. स्वीकृत।

खेल विभाग

78. मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी॰सी॰सी॰आई॰) को दीर्घकालीन लीज पर सौपने हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में। — 78. स्वीकृत।

खेल विभाग

79. राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में। — 79. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

80. बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के अधीन बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियम 3, 4 एवं 6 में संशोधन करने हेतु बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) (संशोधन) नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में। — 80. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

81. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौराधाम मंदिर के आस–पास पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु रकवा 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की सैद्धान्तिक स्वीकृति। **81.** स्वीकृत।

वित्त विभाग

82. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2024 के प्रभाव से 46% के स्थान पर 50% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। **82.** स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

83. वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2.36 लाख मे०टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 मे०टन, 500 मे०टन या 1000 मे०टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रू० 1,69,49,47,686/– (एक अरब उन्नहत्तर करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हजार छः सौ छियासी) के व्यय की योजना की स्वीकृति। **83.** स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

84. सप्तदश बिहार विधान सभा के एकादश–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 206वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। **84.** स्वीकृत।

गृह विभाग
(कारा)

85. राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का पारिश्रमिक दर तथा अपराध पीड़ित परिवार हेतु देय कटौती की दर में संशोधन के संबंध में। **85.** स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

86. बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के परिशिष्ट 103 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। **86.** स्वीकृत।

गृह विभाग

87. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०– 3881, दिनांक– 18.04.2022 द्वारा रद्दीकृत अग्निशामक वाहनों के विरूद्ध 53 अद्द एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–11651, दिनांक– 24.11.2022 द्वारा 77 अद्द 19 टन टाईप बी वाटर टेंडर की स्वीकृति को रद्द करते हुए उसके स्थान पर विभिन्न प्रकार के कुल 122 अद्द अग्निशामक वाहनों के क्रय हेतु लागत राशि ₹7800.00 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में। **87.** स्वीकृत।

गृह विभाग

88. राज्य के बहुमंजिली भवनों की अग्नि सुरक्षा–सह–बचाव हेतु प्रथम चरण में 62 मी० ऊँचाई के 01 अदद हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म–सह–टर्न टेबुल एरीयल लैडर के क्रय के लिए पुनरीक्षित लागत राशि ₹1295.00 लाख (बारह करोड़ पंचानवे लाख रू०) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में। — 88. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

89. (1) बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक (सामान्य बंद संवर्ग) नियमावली, 2024 [गृह विभाग (आरक्षी शाखा)]तथा (2) बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) नियमावली, 2024 [गृह विभाग (आरक्षी शाखा)] के गठन के संबंध में। — 89. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

90. भागलपुर में वर्त्तमान हवाई अड्डे को स्थानान्तरित करते हुए न्यूनतम 6000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर नए हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में। — 90. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

91. राजगीर में विमान के परिचालन हेतु न्यूनतम 6000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर हवाई अड्डा के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में। — 91. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

92. आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने, विधि–व्यवस्था के संधारण एंव सुरक्षा हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में अधिसूचित/गैर अधिसूचित किन्तु कार्यरत राज्य के 84 (चौरासी) ओ०पी० को थाना के रूप में एवं 24 (चौबीस) रेल पी०पी० को रेल थाना में उत्क्रमित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 92. स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

93. लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए राज्य के लगभग 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग किये जाने, सभी मतगणना केन्द्रों एवं सभी चेक पोस्ट के स्थलों से सी०सी०टी०वी० कैमरा निगरानी कार्य के लिए निविदा के माध्यम से प्राप्त रू० 31,34,66,711/– (इकतीस करोड़ चौतीस लाख छियासठ हजार सात सौ ग्यारह रूपये) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 93. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

94. ₹51,87,72,000.00 (इक्यावन करोड़ सतासी लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र की लागत से पूर्वी गार्डेनर रोड, पटना में विभिन्न सरकारी कार्यालयों हेतु संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति। 94. स्वीकृत।

कृषि विभाग

95. राज्य स्कीम मद से किसान सलाहकार योजना के कार्यान्वयन तथा किसान सलाहकारों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम–1952 के प्रावधानों के तहत दिनांक–01.04.2024 के प्रभाव से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लाभ से आच्छादित करने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 12810.66 लाख (एक अरब अठाईस करोड़ दस लाख छियासठ हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 95. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

96. वित्तीय वर्ष 2023–24 में पटना जिलान्तर्गत गार्डिनर रोड अस्पताल परिसर में 100 शैय्या के (Endocrionology) सुपर स्पेशलिटी गार्डिनर अस्पताल, पटना के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 59,47,20,000/–(रूपये उनसठ करोड़ सैंतालिस लाख बीस हजार) मात्र (निगम के सेन्टेज सहित) की योजना (स्कीम) की प्रशासनिक स्वीकृति। 96. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

97. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रू० 1,38,19,00,000/–(रूपये एक अरब अड़तीस करोड़ उन्नीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। 97. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

98. वैशाली में बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार द्वारा समर्पित तकनीकी अनुमोदित द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹301,40,05,500/–(तीन सौ एक करोड़ चालीस लाख पांच हजार पांच सौ रूपये) मात्र के स्थान पर परामर्शी शुल्क सहित, कुल राशि ₹550,48,07,962/–(पाँच सौ पचास करोड़ अड़तालीस लाख सात हजार नौ सौ बासठ रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 98. स्वीकृत।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

99. सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के अनुमंडलीय जन सम्पर्क कार्यालयों हेतु स्वीकृत कुल 10 (दस) वाहन चालकों के पदों को प्रत्यार्पित करते हुए विभागीय मुख्यालय के लिए आवश्यकता आधारित कुल–09 (नौ) पद एवं जिला जन सम्पर्क इकाई, अरवल के लिए 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **99.** स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

100. बिहार राज्य में सामुदायिक/चलन्त शौचालय एवं सीवेज के सेप्टिक टैंक के मल का इन–सीटू उपचार तथा विभिन्न नदियों में गिरने वाले 202 नालों के बायोरेमेडिएशन के माध्यम से उपचार योजना के कार्यान्वयन हेतु संभावित व्यय रूपया 4,74,06,73,600/–(जी०एस०टी० एवं टी०पी०आई० सहित) (चार सौ चौहत्तर करोड़ छः लाख तीहत्तर हजार छः सौ रूपया) मात्र का राज्य योजना मद से किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **100.** स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

101. वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत कुल ₹25000.00 लाख (दो सौ पचास करोड़ रू०) मात्र राशि की सहायक अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के नगर निकायों को आवंटित की जाने वाली षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की राशि से ₹25000.00 लाख (दो सौ पचास करोड़ रू) मात्र की कटौती करते हुए केंद्रीयकृत रूप से विद्युत कम्पनियों को आवंटित करने की स्वीकृति के संबंध में। — **101.** स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

102. राज्य के प्रमुख शहरों के आस–पास नए सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित किए जाने हेतु भू–अर्जन एवं आधारभूत संरचना निर्माण किए जाने की सैद्धांतिक सहमति तथा प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में। — **102.** स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

103. जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत पटना शहर के पेयजल हेतु गंगा जल आपूर्ति योजना, आकलित राशि 6513.16 करोड़ रूपये (छः हजार पाँच सौ तेरह करोड सोलह लाख रूपये) के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक सहमति। — **103.** स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

104. जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत औरंगाबाद, डिहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ एवं मोहनियाँ शहरों के लिए सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य, आकलित राशि 1546.51 करोड़ रूपये (एक हजार पाँच सौ छियालिस करोड़ इक्यावन लाख रूपये) के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक सहमति। — 104. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

105. जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत टर्न–की आधार पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गंगाजल आपूर्ति योजना, द्वितीय चरण के लिए सभी पार्टों का समेकित रूप से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त करने एवं योजना के अन्तर्गत प्रथम पार्ट–मधुवन जलाशय (क्षमता 27 एम०सी०एम०) एंव डिलीवरी सिस्टर्न का निर्माण का कार्य, भू–अर्जन का कार्य, विस्थापितों के लिए पंचाने नदी के दूसरी तरफ पुनर्वासन का कार्य, प्राक्कलित राशि 1110.271 करोड़ रूपये (एक हजार एक सौ दस करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार रूपये) मात्र के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 105. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

106. भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर के समीप गंगा नदी के दांये तट पर पुरानी उत्तरवाहिनी धार में चैनल एवं सीढ़ी घाट निर्माण कार्य (एजेण्डा सं०–216/04/2024) (प्राक्कलित राशि 16457.00 लाख रूपये) (रू० एक सौ चौंसठ करोड़ संतावन लाख मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 106. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

107. बिहार प्रमंडलीय राजभाषा संवर्ग नियमावली 2014 की कंडिका–7(3) में स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष अंकित है, जिसे तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 की कंडिका–05 के अनुसार सरकारी सेवाओं में स्नातक योग्यता वाले पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित है, के अनुरूप संशोधन के संबंध में। — 107. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

108. डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना के लिए Detail Design, Fabrication, Supply, Installation, Testing, and Commissioning of Exhibits and Audio-Visual Systems with Content Production कार्य हेतु आमंत्रित निविदा के लिए JV Guidelines समान प्रकृति के कार्य अनुभव की अवधि के अनुमान्यता में संशोधन तथा कार्य की विशिष्ट भुगतान अनुसूची (Invoicing Schedule) के अनुमोदन के संबंध में।

108. स्वीकृत।